राजस्थान सरकार
निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/Skill Dev./2020/**127;** दिनांकः 14 दिसम्बर 2020

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम
बजट घोषणा 2020–21 बिन्दु संख्या 101

विषयः विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुख कौशल विकास के लिये प्रथम चरण में चयनित राजकीय महाविद्यालयों में कौशल विकास प्रशिक्षण आरम्भ करवाने बाबत।

सन्दर्भः आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयुपर की ओर से जारी पत्रांक : CCE/ISDC/Skill Dev./2020/119; दिनांकः 10 नवम्बर 2020 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 10 नवम्बर 2020 को जारी उपर्युक्त आदेश के माध्यम से बजट घोषणा 2020–21 के बिन्दु संख्या 101 की कियान्विति हेतु सभी राजकीय महाविद्यालयों में नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही प्रथम चरण में 50 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम आरम्भ करवाने के निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में लेख है कि –

1. सभी महाविद्यालयों को नवाचार प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु उपर्युक्त पत्र के माध्यम से पुनः निर्देशित किया गया था। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है आपके महाविद्यालय की G-mail ID पर "**ISDC Information" के नाम से एक स्प्रैडशीट शेयर की गई है।** आप इस स्प्रैडशीट में **वांछित सूचनाओं को आवश्यक रुप से दिनांक 21 दिसम्बर 2020 तक भरवाया जाना सुनिश्चित करें।**
2. सभी राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थी हित केन्द्रित ये रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित करवाये जाने हैं। अतः सभी महाविद्यालय इस प्रयोजनार्थ अपनी तैयारी रखें। यदि किसी महाविद्यालय के पास अविलम्ब आरम्भ करने हेतु कोई प्रस्ताव है तो इसे अनुमति/अनुमोदन हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित करें।
3. प्रथम चरण में जिन 50 राजकीय महाविद्यालयों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम आरम्भ करवाने हेतु निर्देशित किया गया है, को पुनः यह भी ध्यान रखना है कि –
    - ये सभी महाविद्यालय अधिकाधिक ध्यान विद्यार्थियों तक इन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में समाचार पत्रों/व्हाट्सएप्प संदेश अथवा अन्य उचित संचार माध्यम का उपयोग करके जानकारी प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।

- **आयोजित करवाये जाने वाले पाठ्यकमों की अवधि न्यूनतम 2 माह जिसमें 90–100 घण्टे की प्रशिक्षण अवधि रहेगी, होनी चाहिये।** पूर्व में जारी उपर्युक्त आदेश में उल्लेखित अवधि के स्थान पर इस संशोधित अवधि को निर्देशित माना जावे।

- महाविद्यालय निर्देशित कौशल प्रशिक्षण कार्यकमों को फिलहाल ऑनलाइन आरम्भ करने की तैयारियां पूर्ण करें और सरकार से अनुमत होने पर जब भी महाविद्यालय विद्यार्थियों के आने के लिये खुलेंगे, इन कौशल प्रशिक्षण कार्यकमों को ऑफलाइन करवाने की व्यवस्था करनी होगी।

- **यथा संभव इन पाठ्यकमों को निःशुल्क आयोजित करवाया जावे, जिसकी व्यवस्था प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं/व्यक्तियों से निःशुल्क सहयोग आधार अथवा महाविद्यालय स्तर पर करवाया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यक होने पर प्रशिक्षणार्थियों से इस बाबत कोई छोटी राशि योगदान के रुप में ली जा सकती है।**

- इस प्रयोजनार्थ आयुक्तालय स्तर पर भी कुछ MoU हस्ताक्षरित किये गये है। शीघ्र ही महाविद्यालयों में निःशुल्क प्रशिक्षणों के लिये इन संस्थाओं को जोडा जायेगा।

इस संबंध में आयुक्तालय स्तर पर मार्गदर्शन/सहायता हेतु नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी डा. विनोद कुमार भारद्वाज से उनके मोबाइल नम्बर 9414304650 पर सम्पर्क करें। साथ ही इस संबंध में आयुक्तालय को सूचना प्रेषण/सहायता हेतु ई–मेल **skill.cceraj@gmail.com** पर संवाद करें।

09/12

सन्देश नायक, IAS
आयुक्त

पत्रांकः CCE/ISDC/Skill Dev./2020/128-29 दिनांकः 14 दिसम्बर 2020
सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समसत संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
7. सभी प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर।
8. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

14/12/2020

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ